न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, एच.जे.एस. (UP-6237)
CNR No.-UPHP010058842026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1753 / 2026

शादाब पुत्र हसरत निवासी ग्राम सलाई, थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़।

बनाम

उ0प्र0 राज्य।

अन्तर्गत धारा–123, 64(2)(एम), 351(2), 351(3) बी.एन.एस.
थाना–बहादुरगढ़, जिला– हापुड़।
मुकदमा अपराध संख्या 62 / 2026

दिनांक 13.08.2026:–

1. आवेदक / अभियुक्त उपरोक्त, जो अपराध संख्या 62 सन् 2026, धारा 123, 64(2)(एम), 351(2), 351(3) बी.एन.एस., थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक अनुसार, वादिनी मुकदमा / पीड़िता द्वारा दिनांक 27.03.2026 को थाना बहादुगरढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि प्रार्थिनी ग्राम नगला बढ थाना बहादुरगढ जिला हापुड की रहने वाली अनपढ महिला है। प्रार्थिनी का बहनोई शादाब पुत्र हसरत निवासी सलाई थाना हापुड देहात जिला हापुड अक्सर जब भी घर आता था जो प्रार्थिनी पर बरी नियत रखता था। दिनांक 09.04.2025 को समय करीब रात्रि के 8–9 बजे प्रार्थिनी का बहनोई शादाब प्रार्थिनी के घर आया उस समय प्रार्थिनी घर पर अकेली थी, प्रार्थिनी को खाने के लिए पिजा लाया, जिसे खाने के तुरन्त बाद प्रार्थिनी बेहोश हो गयी। प्रार्थिनी को जब होश आया तो प्रार्थिनी निवस्त्र अवस्था में बैड पर मिली प्रार्थिनी के गुप्तांग पर चिकनाई युक्त वीर्य लगा मिला तथा प्रार्थिनी के गुप्तांग पर पीडा / दर्द हो रहा था। प्रार्थिनी ने इस बारे में जीजा से पूछा तो जीजा ने प्रार्थिनी को धमकाते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे पिजा में नशीला पदार्थ मिलाया था जिसे खाकर तुम बेहोश हो गई थी मैंने तुम्हारे साथ सेक्स करते हुए निवस्त्र की वीडियो अपने फोन से बना रखी है। मैं वीडियो वायरल करके तुम्हें बदनाम कर दूगां और तेरी बहन को तलाक देकर छोड़ दूंगा। प्रार्थिनी के बहनोई ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बहुत बार बलात्कार किया। इस बारे में प्रार्थिनी ने अपने घर वालों से यह बात बतायी तो प्रार्थिनी के घर वालों ने प्रार्थिनी को चुप रहने के लिए दबाव बनाया कि यदि इसकी कहीं शिकायत की तो तुझे जहर देकर जान से मार देंगे। तेरी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। रुखसार प्रार्थिनी अपने बहनोई व घर वालों की बात सुनकर डर की वजह से कहीं शिकायत नहीं कर सकी। प्रार्थिनी ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की बात बहनोई व परिवार वालों से बतायी तो इन सब ने कहा इसका गर्भपात करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिनांक 12.02.2026 को प्रार्थिनी ने पुत्री को जन्म दिया। अगले दिन परिवार वालों ने बदनामी से बचने के लिए शहजाद, नौशाद व गुलबहार ने प्रार्थिनी का निकाह जबरदस्ती मुफीद निवासी नगल बढ़, थाना बहादुरगढ़, हापुड़ के साथ करा दिया। घटना के समय नाबालिग थी। वर्तमान में बालिग हो चुकी है।

3. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक / अभियुक्त उपरोक्त केस में निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है। आवेदक / अभियुक्त का उपरोक्त केस से कोई ताल्लुक वास्ता किसी भी प्रकार से नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा एफ०आई०आर० में कहा गया है कि आवेदक / अभियुक्त ने एक साल पूर्व दिनांक 09.04.2025 को प्रार्थिनी को अभियुक्त ने पिज्जा में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत काम किया, परन्तु यह बात प्रार्थिनी ने एक साल तक अपने भाई, अपनी माता और अपनी भाभी को नहीं बतायी। आवेदक / अभियुक्त प्रार्थिनी का सगा बहनोई है आवेदक / अभियुक्त के अपने परिवार के साथ ग्राम सलाई थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़ में रहता है। प्रार्थिनी के सम्बन्ध गांव के ही मुफीद नाम के व्यक्ति से थे तथा काफी बार प्रार्थिनी के परिवार वालों ने प्रार्थिनी को समझाया कि ऐसा मिलना गलत है। आवेदक / अभियुक्त बहनोई होने के नाते प्रार्थिनी को समझाया कि यह सही नहीं है अगर तुम मुफीद से शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और शादी का विरोध

किया, जिससे प्रार्थिनी व मुफीद ने आपस में साज करके आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त मामला झूठा पंजीकृत करा दिया। सी०डी० नं० 2 क्रम सं० 8 पर प्रार्थिनी की माता नसीम ने अपने बयानों में कहा है कि रूकसार के पेट में दर्द होने पर हमने पूछा तो बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तब मैं व पुत्रवधु गुलबहार व मेरी ननद मुनफैद को लेकर हरोड़ा मोड़ प्राईवेट अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र पर गयी थी अल्ट्रासाण्ड कराया, अल्ट्रासाण्ड रिपोर्ट देखकर केन्द्र वालों ने बताया कि रूखसार 9 माह के गर्भ से है तब हमें पता चला था एक्स–रा कराने के बाद बक्सर सरकारी अस्पताल रूखसार को लेकर दिनांक 12.02.2026 लेकर आये, वहीं 10 बजे रूखसार को एक बच्ची पैदा हो गयी, अस्पताल में बच्ची पैदा होने से पहले मेरे लडके ने आकर हमारे सामने रूखसार से पेट में पल रहा बच्चा किसका है पूछने पर मुफीद का नाम बताया तथा यह भी बताया चोरी छिपे मुफीद को रात में बुलाती थी मुफीद के सम्बन्धों से मेरे पेट में यह बच्चा है तथा आवेदक/अभियुक्त को उक्त मामले में संलिप्त होने से इंकार किया और कोई दोष नहीं होना कहा, जिस कारण आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। प्रार्थिनी की माता ने अपने ब्यान में यह भी बताया कि रूखसार हमें चाय व दूध में नशीला पदार्थ देती थी और बाद में मुफीद को बुलाती और पीछे वाले गेट से निकाल देती थी जिससे भी स्पष्ट है कि केवल आवेदक/अभियुक्त को प्रार्थिनी व मुफीद की शादी का विरोध करने के कारण ही मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थिनी व मुफीद ने बच्ची पैदा होने के अगले दिन दिनांक 13.02.2026 को शादी कर ली और दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे है। सी०डी० नं० 19 में प्रार्थिनी के भाई शहजाद का बयान है जिसने भी प्रार्थिनी व मुफीद के सम्बन्ध होना व मुफीद के सम्बन्धों से रूखसार को बच्ची पैदा होना व आवेदक/अभियुक्त को उक्त केस में गलत फंसाना कहा है। सी0डी0 नं0 19 में प्रार्थिनी के दूसरे भाई नौशाद का बयान है, जिसने भी प्रार्थिनी व मुफीद के सम्बन्ध होना व मुफीद के सम्बन्धो से रूखसार को बच्ची पैदा होना व आवेदक/अभियुक्त को उक्त केस में गलत फंसाना कहा है। सी0डी0 नं0 19 में प्रार्थिनी की भाभी गुलबहार का बयान है, जिसने भी प्रार्थिनी व मुफीद के सम्बन्ध होना व मुफीद के सम्बन्धों से रूखसार को बच्ची पैदा होना व आवेदक/अभियुक्त को उक्त केस में गलत फंसाना कहा है। पीड़िता द्वारा अपना मैडिकल कराने से अपनी स्वेच्छा से इंकार किया है जिस कारण भी गलत काम की पुष्टि नहीं होती है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जनता का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को पिज्जा में नशीला पदार्थ मिलाकर, उसे खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील विडियो बनाई तथा वीडियो वायरल करने के धमकी देकर वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत पत्रावली का परिशीलन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने वादिनी मुकदमा/पीड़िता को पिज्जा में नशीला पदार्थ मिलाकर, उसे खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील विडियो बनाई और वीडियो वायरल करने के धमकी देकर वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता द्वारा अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में दिनांक 09.04.2025 को आवेदक/अभियुक्त व उसके दोस्त द्वारा नशीली दवाई का पिज्जा खिलाकर उसके साथ बलात्कार किए जाने का कथन किया गया है और फिर दिनांक 12.02.2026 को एक बेटी को जन्म दिये जाने का कथन किया गया है। इसके अलावा पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी0एन0एस0एस0 में दिनांक 01.04.2025 को आवेदक/अभियुक्त व उसके दोस्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करना बताया गया है और फिर दिनांक 12.02.2026 को एक बेटी को जन्म दिये जाने का कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। वर्तमान मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा चुका है तथा पत्रावली साक्ष्य के स्तर

पर लंबित है और मामले के निस्तारण में अभी समय लगना संभाव्य है। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अवर न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के उपरान्त पत्रावली सैशन सुपुर्द किया जा चुका है और आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 15.07.2026 को आरोप विरचित किये जाने के उपरान्त विचारण प्रारम्भ हो चुका है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये, इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के जमानत पर छुटने से साक्ष्य व गवाहान के प्रभावित होने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **शादाब पुत्र हसरत** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 13.08.2026

प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।